

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/5001

दिनांक - 04-06-25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

जेठीदेवी पत्नि
रूपाराम 2 शान्तीदेवी
पत्नि दीपाराम जाति
सुथार निवासी
पुरोहितो की बस्ती
मुंडो की ढाणी
तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर

1 अमराराम पुत्र भेराराम 2 मानाराम पुत्र ताजाराम 3 रामाराम पुत्र
मोतीराम 4 लुम्बाराम पुत्र भेराराम 5 लेहरोदेवी पत्नि भेराराम 6
बगताराम पुत्र भेराराम 7 विरधाराम पुत्र किसनाराम 8 सारों पत्नि
किसनाराम 9 खेताराम पुत्र धुड़ाराम 10 गेमराराम पुत्र ताजाराम 11
गोविन्दराम पुत्र भेराराम 12 तारो पत्नि मोतीराम 13 देवाराम पुत्र
किसनाराम 14 बाबूराम पुत्र मोतीराम 15 मुनाराम पुत्र भेराराम 16
मूलाराम पुत्र ताजाराम 17 चेलाराम पुत्र पुनमाराम 18 खेताराम पुत्र
बागाराम 19 पोलाराम पुत्र पुनमाराम 20 भीमसिंह पुत्र बागाराम 21
लक्ष्मणाराम पुत्र पुनमाराम 22 हेमाराम 23 गंगाराम पिसरान बागाराम
24 जगदीश कुमार पुत्र भेराराम 25 चेतनराम पुत्र बागाराम 26
दुर्गाराम 27 नरपतराज पिसरान भेराराम 28 पुरखाराम पुत्र बागाराम
29 पुराराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी मुंडो की ढाणी तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 30 ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी 31
तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-845/2024

दिनांक- 30/05/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा विशनासर पटवार क्षेत्र मुंडो की ढाणी तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर भूमि खसरा संख्या 534/243 रकबा 1.9425 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ
पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थी को नोटिस/पत्र के
जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी
नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/5002-5005

दिनांक- 04-06-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मुंडो की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी जेठीदेवी पत्नि रूपाराम जाति सुथार निवासी पुरोहितो की बस्ती मुंडो की ढाणी तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण अमराराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी मुंडो की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।



(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर